बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
मोइनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्रनगर, पटना–16
दूरभाष / फैक्स–0612–2660212 / 2665513 / 2665510

पत्रांकः–क7–01 / 2010.....877/ पटना, दिनांकः–21/11/12

प्रेषक,

निदेशक–सह–सचिव,
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।

सेवा में ,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार।

विषय :– पायका योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत एवं प्रखंड पायका केन्द्रो के आधारभूत संरचना हेतु मार्गदर्शिका के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक 198 दिनांक 24.02.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2008–09 में चयनित पायका प्रखंड केन्द्र एवं ग्राम पंचायत केन्द्र पर मैदान की खेल अवसंरचना, विकास, खेल सामग्रियों का क्रय एवं मैदान के रख–रखाव हेतु कला, संस्कृति एंव युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शिका की प्रति उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में आपको भेजी जा चुकी है। उक्त मार्गदर्शिका की छायाप्रति पुनः अनुलग्नक के साथ आवश्यक कार्यार्थ आपको उपलब्ध कराई जा रही है।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2008–09 के लिए चयनित पायका केन्द्रों के लिए आपको उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय उपर्युक्त मार्गदर्शिका के आलोक में करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुलग्नक : यथोपरि।

विश्वासभाजन

निदेशक–सह–सचिव,
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।

ज्ञापांक :– क7–01 / 2010.....877 पटना, दिनांकः–21/11/12

प्रतिलिपि :– सभी जिलो के जिला खेल पदाधिकारी / उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक–सह–सचिव,
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान 'पायका' मार्गदर्शिका

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में राज्य के चयनित कुल 847 ग्राम पंचायत एवं 53 ब्लॉक पंचायत को उपलब्ध करायी गयी राशि का व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरणी उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शिका।

प्रति ग्राम पंचायत 'पायका' केन्द्रों को प्राप्त होने वाली राशि	प्रति ब्लॉक पंचायत (प्रखण्ड) 'पायका' केन्द्रों को प्राप्त होने वाली राशि
1. एककालिक पूँजीगत अनुदान– 1,00,000	1. एककालिक पूँजीगत अनुदान– 5,00,000
2. वार्षिक खरीद अनुदान– 10,000	2. वार्षिक खरीद अनुदान– 20,000
3. वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान– 12,000	3. वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान– 24,000
कुल– 1,22,000	कुल– 5,44,000
1. एक कालिक पूँजीगत अनुदान– 1,00,000 रु0 प्रति ग्राम पंचायत जिसमें केन्द्र द्वारा प्राप्त राशि–75,000 राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि–25,000 इस राशि से खेल मैदान का घेरा एवं आवश्यकतानुसार नॉन कन्ज्यूमेबल खेल उपकरण यथा–फुटबॉल/हॉकी गोल पोस्ट, भॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल, बैंडमिंटन, पोल, खो–खो इत्यादि पर व्यय करना है। (सूची संलग्न) **यदि खेल मैदान समतल नहीं है तो सर्वप्रथम खेल मैदान का समतलीकरण का कार्य मनरेगा द्वारा कराया जायेगा।**	1. एक कालिक पूँजीगत अनुदान– 5,00,000 रु0 प्रति प्रखण्ड केन्द्र जिसमें केन्द्र द्वारा प्राप्त राशि– 3,75,000 राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि– 1,25,000 इस राशि से खेल मैदान का घेरा एवं आवश्यकतानुसार नॉन कन्ज्यूमेबल खेल उपकरण यथा–फुटबॉल/हॉकी गोल पोस्ट, भॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल, बैंडमिंटन, पोल, खो–खो इत्यादि पर व्यय करना है। (सूची संलग्न) **यदि खेल मैदान समतल नहीं है तो सर्वप्रथम खेल मैदान का समतलीकरण का कार्य मनरेगा द्वारा कराया जायेगा।**
2. वार्षिक खरीद अनुदान 10,000 रु0 प्रति ग्राम पंचायत इस राशि से प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत केन्द्र के लिए कन्जूमेबल खेल उपकरण यथा फुटबॉल, भॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल, शटलकॉक इत्यादि क्रय किया जाना है (सूची संलग्न)। जिला स्तर पर निविदा प्राप्त कर संलग्न सूची के अनुसार खेल उपकरण का क्रय किया जाना है।	2. वार्षिक खरीद अनुदान 20,000 रु0 प्रति प्रखण्ड इस राशि से प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत केन्द्र के लिए कन्जूमेबल खेल उपकरण यथा फुटबॉल, भॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल, शटलकॉक इत्यादि क्रय किया जाना है (सूची संलग्न)। जिला स्तर पर निविदा प्राप्त कर संलग्न सूची के अनुसार खेल उपकरण का क्रय किया जाना है।
3. वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान 12,000 रु0 प्रति ग्राम पंचायत जिसमें 6,000 रु0 क्रीड़ाश्री का मानदेय 500x12=6,000 (500/- रुपये प्रतिमाह) 6,000 रु0 में खेल मैदान का रख–रखाव खेल उपकरण मरम्मति प्रशासनिक व्यय स्टेशनरी, डाटाफिड करने के लिए (2,000 रु0) इत्यादि के लिए है।	3. वार्षिक प्रचलनात्मक अनुदान 24,000 रु0 प्रति प्रखण्ड जिसमें 12,000 रु0 क्रीड़ाश्री का मानदेय 1000x12=12,000 (1000/- रुपये प्रतिमाह) 12,000 रु0 में खेल मैदान का रख–रखाव खेल उपकरण मरम्मति प्रशासनिक व्यय स्टेशनरी, डाटाफिड करने के लिए (4,000 रु0) इत्यादि के लिए है।